प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 70 / 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

क्लॉउड सेवाओं के संबंध में सिफारिशें जारी करता है

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2020: आज, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने बहु चरणीय परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् ''क्लॉउड सेवाओं'' के संबंध में सिफारिशें जारी की हैं।

2. पूर्व में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2017 को भारत सरकार को '' क्लॉउड सेवाओं'' के संबंध में सिफारिशें जारी की थी। इसमें '' क्लॉउड सेवाओं'', अंतर्प्रचालनता, बहु क्षेत्राधिकार में प्रचालन हेतु सीएसपी के लिए विधिक ढ़ांचे आदि के लिए विधिक और विनियामककारी ढ़ांचा शामिल था। सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और दूरसंचार विभाग के दिनांक 27 सितम्बर, 2018 और 06 मई, 2019 के पत्रों के माध्यम से सीएसपी के लिए ढ़ांचे अर्थात्'' उद्योग निकाय के पंजीकरण के लिए निबंधन और शर्तें, अर्हता, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण की अवधि, और अभिशासन का ढ़ांचा आदि'' के संबंध में अतिरिक्त सिफारिशें आमंत्रित की हैं।

3. ''क्लॉउड सेवाओं'' के संबंध में इन सिफारिशों को तैयार करते समय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनेक उद्योग निकायों से जानकारियां प्राप्त करते हुए, किसी उद्योग निकाय का सदस्य बनने के लिए किसी सीएसपी के लिए अपेक्षाओं, अभिशासन ढ़ांचा और उद्योग निकाय की प्रारंभिक सीडिंग आदि के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां जानकारियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 को एक परामर्श पत्र जारी किया था। तत्पश्चात्, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आमंत्रित की गई थी, जहां हितधारकों ने मुद्दों पर भागीदारी की और विचार विमर्श किया :

4. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :

i. उद्योग निकाय की स्थापना करके तीन– चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से कम विनियामक ढ़ांचे को आरंभ करना: भारत में प्रचालन करने वाले सीएसपी का नामांकन; व्यापक नियम, संगठनात्मक ढ़ांचा, चुनाव प्रक्रिया आदि को तैयार करने के लिए एक तदर्थ निकाय का गठन करना; नियमित उद्योग के नेतृत्व निकाय के रूप में इसके कार्यकरण का हाथ में लेने के लिए कार्यालय के अधिकारियों का चयन।

ii. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत उद्योग निकाय, और दूरसंचार विभाग द्वारा एम2एम निकाय के सृजन के लिए अपनाई गई पद्धति का उपयोग करके गठित किया जाना चाहिए।

iii. प्रारंभ में, '' क्लॉउड सेवा'' प्रदाता का क्षेत्राधिकार, सेवा (आईएएएस) के रूप में अवसंरचना के लिए भारत में सेवाओं को उपलब्ध करा रहे ''क्लॉउड सेवा'' प्रदाता और सेवा (पीएएएस) के रूप में प्लेटफार्म तक सीमित होगा।

iv. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ''क्लॉउड सेवा'' प्रदाताओं (सीएसपी), जो दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत सीएसपी के उद्योग निकाय के सदस्य नहीं हैं, के साथ टेलीग्राफ से संबंधित अवसंरचना और प्लेटफार्म की सहभागिता करने की अनुमति नहीं है।

v. इस प्रकार गठित उद्योग निकाय, अपने अनुभव की समीक्षा करेगा और विभिन्न प्रयोजनों के लिए बहु निकायों का गठन करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श करेगा, जैसे कि विभिन्न बाजार के भागोंकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना। दूरसंचार विभाग को प्रथम औद्योगिक निकाय के कार्यकरण आरंभ किए जाने के दो वर्ष पश्चात्, अथवा ऐसे समय जो वह उचित समझे, ऐसी समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है।

5. सिफारिश का पूर्ण पाठ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए श्री असित काद्यान, सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से उनके ई–मेल advqos@trai.gov.in के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

ह/–
(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।